जमानत आवेदन संख्या–497 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 24.06.2026**

1. पप्पु कुमार उर्फ पप्पु मंडल पुत्र नथुनी मंडल.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार..... विपक्षी

आवेदक की ओर से : श्री अजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

24.06.2026 1. काराधीन आवेदक / अभियुक्त **पप्पु कुमार उर्फ पप्पु मंडल** जो दिनांक 11.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, कि ओर से धारा–483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत बहेछी थाना कांड संख्या–284 / 2026, अन्तर्गत धारा–80, 3(5) बी.एन.एस., जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सप्तम, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित हैं, में नियमित जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई हेतु इस न्यायालय में हस्तानांतरण कर भेजा गया।

2. उक्त आवेदन पर आवेदक / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचक का संक्षिप्त कथन है कि वह अपने पुत्री कुमकुम कुमारी की शादी पप्पु मंडल जो सरकारी शिक्षक है के साथ तीन वर्ष पूर्व किये थे। शादी के अवसर पर उपहार स्वरूप नगद 3 लाख, सोना–चांदी का जेबर 7 लाख का एवं फर्नीचर वगैर तथा मोटरसाईकिल 2 लाख तथा अन्य खर्च 3 लाख रुपया का किये थे। जब उनकी पुत्री ससुराल गई तब उसके ससुराल के पप्पु मंडल, नथुनी मंडल, सकुंतला देवी एवं ननद रूना देवी सभी मिलकर उसके दहेज में 2 लाख रुपया की मांग करने लगे। विरोध करने पर सभी मिलकर उनकी पुत्री के साथ मारपीट एवं प्रताड़ित करते थे। दिनांक 10.05.2026 को पंचायत होना था परन्तु दिनांक 09.05.2026 को शाम के लगभग 5 बजे कुमकुम कुमारी की मृत्यु हो गई।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कहीं दाखिल नहीं किया गया है और ना ही खारिज किया गया है तथा ना ही कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आवेदक / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कूल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को झूठे केस में फंसाया गया है तथा सूचक के द्वारा झूठा एवं बनावटी केस किया गया है। मृतिका कई बीमारियों से पीड़ित थी जिसको सूचक के द्वारा छुपाया गया और मृतिका अपना ज्यादातर समय मैके में बिताती थी। उसके शरीर के बाहरी भाग पर कोई जख्म नहीं पाया गया तथा मृत्यु का कारण संदिग्ध है। आवेदक सरकारी स्कूल के शिक्षक है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से काराधीन है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है तथा न्यायालय के संतुष्टि पर बंध पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाए।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 24.06.2026**

से विदित होता है कि इस काण्ड में धारा 80, 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 04 में वादी का पुनःबयान, कंडिका 5 में साक्षी कुमोद रंजन एवं कंडिका 45 में मृतिका की मॉ कृष्णा देवी का बयान है जिसमें प्राथमिकी का पूर्णरूपेन समर्थन किया है। अभिलेख पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति में Internal examination:- On opening chest and abdominal cavity, all internal organs including lungs, liver, spleen and kidneys are highly conjested including abl. viscera of body. Opinion- cause of death is reserved till the report of chemical analysis will be available. times since death was within 12 to 18 hours from time of examination. अंकित है। घटना के मात्र 3 वर्ष पूर्व मृतिका की शादी आवेदक से हुई थी। दहेज मृत्यु के उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध है। आवेदक मृतिका का पति है तथा मामला जघन्य अपराध से संबंधित है। इस काण्ड में अनुसंधान अभी भी जारी है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित अभियोग की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक / अभियुक्त **पप्पु कुमार उर्फ पप्पु मंडल** का जमानत **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित
ह0 / –
(उपेन्द्र कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम,
दरभंगा

Date of Judgment/Order	24-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	24-06-2026
Uploading Date	29-06-2026
Uploaded by	Abhay Kumar